अनुसूची 14– फारम सं. 512

(3)

आदेष–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.–04.....सन् 2016–17

केष का प्रकार .....श्री दीपु पासवान चौकीदार संख्या 6/3 थाना–जयनगर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
16/2/17	जिला पदाधिकारी मधुबनी का आदेश ज्ञापांक 2599/सा0दिनांक–14.11.2016 दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त हुआ है। आदेश में उल्लेख किया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी जयनगर के प्रतिवेदन के आधार पर श्री दीपु पासवान चौकीदार 6/3 थाना जयनगर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु अपर समाहर्ता विभागीय जॉच को जॉच पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी जयनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु अपर समाहर्ता विभागीय जॉच का स्थानान्तरण जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी के पद पर होने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्ता मधुबनी, को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया"। उपस्थापन पदाधिकारी अंचल अधिकारी जयनगर को बरकरार रखते हुये जॉच प्रतिवेदन 90 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया। आदेश के साथ आरोप पत्र प्रपत्र–"क" की छाया प्रति संलग्न की गयी । प्रपत्र–"क" की प्रति भेजते हुये आरोपी कर्मी श्री दीपु पासवान, चौकीदार 6/3 जयनगर थाना को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। पत्र की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी को देते हुये सरकार की ओर से प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आरोपी कर्मी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जिस पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर से पक्ष प्राप्त किया गया। आरोपी को सूना, उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का परिसिलन किया एवं आदेशार्थ रखा। प्रपत्र–'क' में गठित आरोप, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर का मंतव्य, आरोपी कर्मी का आपत्ति आवेदन एवं उस पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्न प्रकार है:– **आरोप पत्र प्रपत्र–"क"में गठित आरोपः–** **आरोप संख्या–01:** जयनगर थाना काण्ड संख्या–288/15 दिनांक 28.10.2015 के नामजद अभियुक्त श्री सत्य नारायण यादव पे0 स्व0रामेश्वर यादव साकिन–छर्रापट्टी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। **आरोप संख्या–02:** घटना के घटित होने में आरोपी कर्मी के द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है एवं उनका आचरण संदिग्ध परिलक्षित होता है:– **आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–** 1– उपरोक्त गिरफ्तार कैदी दिनांक 06.03.2016 को पुलिस हिरासत में था और थानाध्यक्ष के आदेशानुसार इन्हें थाना हाजत में नहीं रखा गया था बल्कि वायरलेस रूप में रखा गया था। 2– थानाध्यक्ष ने उन्हें एक पूर्जा लिखकर 10 चाय लाने हेतु थाना गेट के सामने चाय दुकान पर भेजें और उन्हें 10 चाय लाने में करीब आधा घंटा समय लगा और उधर से जब वे चाय लेकर थाना पर आये तो पता चला	

कि गिरफ्तार कैदी भाग गया है।

3– उल्लेखनीय है कि भागने वाले कैदी से थानाध्यक्ष और मुकेश मुंशीजी करीब 15–20 मिनट तक एकान्त में बातचीत किये और सुनियोजित योजना के तहत कैदी को भगाने में सहयोग किये।

4– एक साजिश के तहत षडयंत्र रचकर उक्त घटना में उन्हें फसाया जा रहा है जबकि वे कर्मठ वो वफादार नया चौकीदार हैं। अनुकम्पा के आधार पर स्व0 पिता के स्थान पर यह चौकीदारी का नौकरी मिला है। वे गरीब हैं तथा घर का मुख्य आय उन पर ही आधारित है। अतः आरोप मुक्त करते हुये दोषियों को सजा दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

थानाध्यक्ष द्वारा दस कप चाय लाने हेतु दिये गये पूर्जा की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया गया।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर का मंतव्यः–

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर के पत्रांक–34 दिनांक–12.01.2017 से प्राप्त मंतव्यः–

1– गिरफ्तार कैदी के निगरानी हेतु चौकीदार को पहरा पर लगाया गया था, चौकीदार द्वारा चाय लाने संबंधी पूर्जा प्रस्तुत किया गया है परन्तु समय का उल्लेख नहीं है।

2– यह सत्य है कि आबेदक नया चौकीदार हैं।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी का आपत्तिः–

थाना प्रभारी द्वारा दिये गये चाय लाने हेतु पूर्जा पर समय अंकित कर चाय नहीं मंगाया जाता है। थाना प्रभारी ने घटना की तिथि दिनांक–06.03.2016 को दस कप चाय लाने हेतु पूर्जा दिये। वे नया चौकीदार हैं। थाना प्रभारी के कुटिल चाल को वे समझ नहीं पाये। वे चाय लाने चाय की दुकान पर गये इसी बीच ये लोग कैदी को फरार कराने में कायाब हो गये। वे बिल्कुल निर्दोष है साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है अतः दोष मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

आपत्ति आवेदन पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी जयनगर के पत्रांक–264 दिनांक 15.02.17 से समर्पित मंतव्यः–

यह बात सही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्जा पर समय अंकित नहीं किया जाता है। नया चौकीदार होने के कारण इन्हें सभी बातों की जानकारी नहीं होना सही माना जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः–

आरोपी कर्मी पर आरोप है कि चौकीदार की लापरवाही के कारण कैदी फरार हो गया। आरोपी कर्मी का कथन है कि कैदी को हाजत में नहीं रखकर वायरलेस कक्ष में रखा गया एवं थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें चाय लेने हेतु दुकान पर भेज दिया तथा इसी बीच कैदी फरार हो गया। चौकीदार ने अपने कथन के समर्थन में दिनांक 06.03.2016 को चाय लाने संबंधी पूर्जा की छाया प्रति प्रस्तुत किया। जिसका समर्थन उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी के मंतव्य में भी किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में लिखा है कि नया चौकीदार होने के कारण इन्हें सभी बातों की जानकारी नहीं होना सही माना जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

जयनगर थाना काण्ड संख्या–288/15 दिनांक–28.10.15 के नामजद अभियुक्त श्री सत्य नारायण यादव पे0 स्व0 रामेश्वर यादव सा0 छर्रापट्टी पुलिस अभिरक्षा से फरार होना तत्कालीन और तत्समय जयनगर थाना में कार्यरत थानाध्यक्ष की विफलता है क्योंकि अभिरक्षा में अभियुक्त को थाना हाजत में रखना चाहिए था, न कि वितंतु कक्ष में। अगर पुलिस अभिरक्षा में किसी भी अभियुक्त को बेचैनी या तवियत खराब होने की स्थिति में तुरत उसे मानवीय दृष्टिकोण से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु ले जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।

चूँकि वितंतु कक्ष में एक चौकीदार के भरोसे रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार आरोपी कर्मी से प्राप्त प्रपत्र–"क" के स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में प्रपत्र–"क" में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हो पाता है।

मूल अभिलेख प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा मधुबनी को भेजें एवं अभिमत की प्रति जिला पदाधिकारी महोदय को भी भेजें।

लेखापित

16/2/17

संचालन पदाधिकारी

संचालन पदाधिकारी सह
अपर समाहर्ता, मधुबनी।